

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ4 (ई)(1)(6)अलेसे-III/ 8377-8402

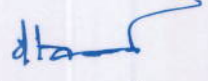
दिनांक :- 23-12-14

आदेश संख्या 124/2014-15

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग/कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	लिक नं.	नाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	9211	बृजभूषण सिंह	कोषालय, चित्तोडगढ़	कोषालय, बांसवाड़ा	TSP एरिया में पदस्थापन हेतु विकल्प के कारण।
2	2314	राजेन्द्र कुमार जोशी	उपकोषालय, रेवदर (सिरोही)	सर्व शिक्षा अभियान, आबूरोड़	TSP एरिया में पदस्थापन हेतु विकल्प के कारण।
3	9286	प्रवीण दैया	जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्रकोष्ठ), जैसलमेर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	पुत्र के असाध्य रोग एवं पति-पत्नी प्रकरण।
4	2534	नेतराम शेर	उपकोषालय, रामगढ़ (अलवर)	तहसील बानसूर, (अलवर)	असाध्य रोग के कारण
5	2435	मनोहर सिंह,	ब्लॉक प्रा. शिक्षा अधिकारी, जमवारामगढ़, (जयपुर) (पद क्रमोन्नत होने के कारण)	निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
6	4415	बजरंग लाल यादव	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष फोरम, जयपुर प्रथम (पद क्रमोन्नत होने के कारण)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	प्रतिनियुक्ति पर
7	4352	अजय कुमार सैनी	ब्लॉक प्रा. शिक्षा अधिकारी, दूदू, जयपुर (पद क्रमोन्नत होने के कारण)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	प्रतिनियुक्ति पर
8	8911	अजय सिंह चंदेल	संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर (पद क्रमोन्नत होने के कारण)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	प्रतिनियुक्ति पर

क्रम संख्या 1 एवं 2 के अतिरिक्त कार्मिकों के स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किये गये हैं। अतः इन्हें यात्रा भत्ता एवं योग काल देय नहीं होगा।

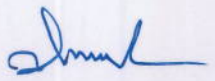

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ4 (ई)(1)(6)अलेसे-III/ 8377-8402

दिनांक :- 23-12-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित कर विभाग को सूचित करें।
- 3 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III) कार्यालय हाजा।
- 4 कोषाधिकारी.....
- 5 वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक, महोदय।
- 6 श्री कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फ़ैक्स अथवा विभागीय ई-मेल (jacct.dta@rajasthan.gov.in) पर इस विभाग को भिजवावे।
- 7 उपनिदेशक, (एसीपी) को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- 8 रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)